राजस्थान सरकार
आंपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विषय:-सम्वत् 2078 में अभावग्रस्त घोषित जिलों में अभाव अवधि के दौरान पेयजल परिवहन की व्यवस्था के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.1(6) आ.प्र. एवं सहा./सामान्य/2021/14149-73 दिनांक 29.10.2021 से अजमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़ एवं डूंगरपुर जिले के ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित किया गया है (प्रति संलग्न)। संशोधित अधिसूचना कमांक एफ.1(10) आ.प्र. एवं सहा./सामान्य/2021/14944-68 दिनांक 26.11.2021 द्वारा अजमेर एवं हनुमानगढ़ जिलों को डी-नोटिफाई कर दिया गया है। सूखा संहिता 2016 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 6 माह (दिनांक 27.4.2022) तक प्रभावी रहेगी। अभाव अवधि के दौरान गत वर्षो की भांति सूखाग्रस्त घोषित जिलों में एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पेयजल व्यवस्था की जानी है।

अभावग्रस्त जिलों में से बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर जिले कुल ग्रामों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जिले में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की जानी है एवं शेष जिले बीकानेर, नागौर एवं चूरू के अभावग्रस्त घोषित राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण आवश्यकतानुसार केवल अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में एस.डी.आर.एफ. से पेयजल परिहवन व्यवस्था की जानी है।

अत: उपरोक्तानुसार सूखाग्रस्त (अभावग्रस्त) गांवों/जिलों में एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जिन गांवों में पेयजल परिवहन करना आवश्यक समझा जावे उसका जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स की पालना सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था की जावेगी। पेयजल परिवहन पर्यवेक्षण आदि हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जावेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कराये गये आपातकालीन पेयजल परिवहन के बिल संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जिला

कलक्टर्स को प्रस्तुत किये जावेंगे। जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलों का अनुमोदन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से करवायें जाने के पश्चात् संबंधित जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित समयावधि में इस विभाग की ऑनलाईन डिमाण्ड प्रस्तुत की जावेगी। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

प्रमुख शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

अ0शा0टीप क्रमांक एफ 4(1) आ.प्र. एवं स.आ./पेय.परि./2021/ 470-80
जयपुर, दिनांक 12-1-2022

प्रतिलिपि:- जिला कलक्टर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही. जोधपुर, नागौर एवं डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि जन स्वा.अभि. विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलों का अनुमोदन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से करवाया जाकर निर्धाथ्रत समयावधि में इस विभाग को ऑनलाइन डिमाण्ड भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव